भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विदेशी दौरों पर भेजे गये विद्वान

2692. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अब तक कितने विद्वानों को विदेशी दौरों पर भेजा गया है तथा उनकी वर्ष-वार सूची क्या है;

(ख) उनकी विदेश यात्राओं पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) उपरोक्त यात्राओं के कारण परिषद् के साहित्य भंडार में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के अनुसार 1973 से विदेशी दौरे करने वाले अध्येताओं की संख्या 238 है। इन नामों की वर्ष वार सूची प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। इन दौरों पर किया गया कुल खर्च 78.00 लाख रु० (लगभग) है।

विदेशी दौरे अनेक कार्यक्रमों के संबंध में किए गए हैं जिनमें आंकड़ों का संग्रह, स्त्रोत सामग्री के बारे में परामर्श करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा सेमीनारों में भाग लेना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक कागजात प्रस्तुत किए गए हैं और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा सहित पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए है।

ऊंटों की दौड़ के लिए मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) देशों को भेजे गये बच्चे

2693. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य पूर्व देशों में ऊंटों की दौड़ के लिए भारत से बच्चों को भेजा जाता है;

(ख) क्या यह कानूनन अपराध नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अमानवीय कार्य को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में ऊंटों की दौड़ में इस्तेमाल के लिये भारतीय बच्चों के 25 मामले सरकार के ध्यान में आये थे और सितम्बर, 1993 में सभी 25 बच्चों को स्वदेश भेजने का कार्य पूरा कर लिया गया था। तीन वर्षों के अन्तराल के पश्चात् पिछले वर्ष मई में आबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास के नोटिस में एक मामला आया, जिसमें एक अन्य बच्चे को उसके प्रायोजक द्वारा ऊंट दौड़ में इस्तेमाल किया गया था। इस मामले को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ उठाने के पश्चात् बच्चे को जून, 1997 में भारत वापिस भेज दिया गया। किसी भी खाड़ी के देश में इस प्रकार के शोषण की कोई अन्य घटना सरकार के ध्यान में नहीं आयी है।

(ग) सरकार बच्चों के व्यापार की इस प्रकार की घटनाओं के बारे में बहुत चिन्तित है। इस समस्या के समाधान हेतु यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यविधियो को कड़ा बना दिया गया है कि खाड़ी के देशों में बच्चों को वास्तविक मामलों में ही अपने माता-पिता के साथ जाने की अनुमति दी जाये। आप्रवासन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये यात्रियों की जांच करते हैं कि विदेश जाने वाले बच्चे वास्तव में अपने माता-पिता के साथ जा रहे हैं न कि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ले जाये जा रहे हैं। जब कभी ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, खाड़ी देशों में बच्चों को भेजने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं।

Allocation for Mid-Day Meal Scheme in Assam

2694. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains quota allocated to the State of assam for mid-day meal during the last three years;

(b) the number of children benefited in the State during this period; and

(c) the details of fund allotted for the purpose by Government during the current financial year?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) The quantity of foodgrains allocated and the number of children covered in